सच्चर समिति रिपोर्ट का सार

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मार्च 2005 में एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बात को संज्ञान में लिया कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षिक स्थिति के सम्बंध में विश्वसनीय आंकडे मौजूद नहीं हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने माना कि इस सम्बंध में वास्तविक और तथ्यात्मक जानकारी के अभाव से मुसलमानों की सामाजिक व आर्थिक हालत को सुधारने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न होती हैं। अतएव प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके उसे यह ज़िम्मेदारी दी कि वह अपेक्षित जानकारी सम्बंधित विभागों तथा केन्द्रीय व राज्य एजेण्सियों से प्राप्त करे। तथा इस सम्बंध में प्रकाशित आंकडों, अभिलेखों एंव शोधपरक रिपोर्टों को जमा करके उनकी समीक्षा करे। समिति को यह भी पता लगाने को कहा गया कि विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में अन्य समुदायों की अपेक्षा मुसलमानों की आय तथा सम्पत्ति का स्तर क्या है और विकास के वभिन्न मानकों जैसे- साक्षरता दर, बीच में शिक्षा छोड देने की दर, शिशु व जन्म देने वाली महिलाओं की मृत्यू दर आदि की दृश्टि से मुसलमानों के सामाजिक व आर्थिक विकास का अनुपात क्या है। क्या यह राज्यों में उनकी आबादी के अनुपात के अनुरूप है। यदि नहीं तो इसमें क्या बाधाएं हैं। इसी तरह अन्य पिछडे समुदाय (OBCs) की श्रेणी में आने वाले मुसलमानों का अनुपात कुल ओबीसी वर्गों में क्या है। क्या मुस्लिम ओबीसी जातियों को राष्ट्रीय और राज्य पिछडा आयोगों द्वारा बनाई गयी सूची में दर्ज किया गया है। ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी कितनी है। समिति को यह भी पता लगाना था कि शिक्षा और स्वास्थ सुविधाओं तक मुसलमानों की पहुंच कितनी है तथा सिविल इन्फ़्रास्टक्चर जैसे स्कूल व अस्पतालों आदि की मुस्लिम बस्तियों में मौजूदगी कितनी है। इसी के साथ समिति को यह भी सुझाव देना थे कि किन क्षेत्रों और संभागों में सरकार हस्तक्षेप करके स्थिति को बहतर बना सकती है।

यह रिपोर्ट जो कि प्रधानमंत्री को 17 नवम्बर 2006 को प्रस्तुत की गयी और संसद में 30 नवम्बर 2006 को रखी गयी, इसमें 12 अध्याय है। पहला अध्याय मुद्दे की व्याख्या और परिचय पर आधारित है, दूसरे अध्याय में जनभावनाओं को पेश किया गया है, जो कि समिति ने देश व्यापी दौरों में जनप्रतिनिधियों से मिलकर प्राप्त कीं। तीसरे अध्याय में जनसंख्या का आकार और मुसलमानों के स्वास्थ तथा उनके बीच जन वितरण व्यवस्था की स्थिति दी गयी है। अन्य अध्यायों में शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा रोज़गार की स्थिति का विश्लेषण किया गया

है। इसके अतिरिक्त बैंक क़र्ज़ों की उपलब्धता, सामाजिक एंव भौतिक इन्फ़्रास्टक्चर की पहुंच, ग़रीबी का स्तर, जीवन स्तर, सरकारी नौकरियों तथा विकास कार्यक्रमों में उन्की भागीदारी तथा मुस्लिम पिछडे वर्गों की स्थिति आदि की समीक्षा की गयी है। एक अलग अध्याय में वक़्फ़ सम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति और उनको विक्सित करने के उपायों तथा आर्थिक विकास में उनके महत्तव और सम्भावनाओं की चर्चा की गयी है। अन्तिम अध्याय में समिति ने अपने सुझाव दिए हैं।

समिति ने पाया कि आरक्षण के मुद्दे पर मुसलमानों में विभिन्न मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समान अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य समान नतीजे प्राप्त करना होना चाहिए न कि केवल संकेतिक एंव औपचारिक समानता का दिखावा। अतः आरक्षण इस उद्देश्य को पूरा करने का एक माध्यम हो सकता है। जबकि कुछ दूसरे लोगों का मानना है आरक्षण एक विवादित मुद्दा बन सकता है और इसकी विपरीत प्रतिक्रया सामने आ सकती है। इसी तरह कुछ लोगों का मत यह है कि भेद-भाव और कटुता के वातावरण को समाप्त करके मुसलमानों को उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो मुसलमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ सकते हैं। जो लोग आरक्षण की मांग या उसका समर्थन करते हैं उनमें भी इस पर मतभेद है कि आरक्षण का प्रत्यक्ष लाभ किसे मिले। कुछ लोगों का मानना है कि यह सुविधा केवल दलित या पिछडे मुसलमानों य को ही मिले, जबकि अन्य कुछ लोगों का मानना यह है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को ही पिछडा घोषित करके आरक्षण दिया जाए। कुछ के नज़दीक केवल आर्थिक स्थिति को ही आरक्षण का आधार बनाया जाए। एसे लोगों का मानना है कि सामाजिक भेदभाव को मिटाने में मुसलमानों के सामूहिक आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुसलमानों की पिछडी और अतिपिछडी जातियों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग भी लोग ज़ोरदार ढंग से उठाते हैं।

एक बडी संख्या का मानना यह है कि समान अवसर तथा स्थान प्राप्त करने के लिए मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी तथा सरकारी नौकरियों में उनका समानुपातिक प्रतिनिधित्व ज़रूरी है। बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि विशेष प्रकार की कार्य प्रणालियों के माध्यम से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाता है। मतदाता सूचियों से मुसलमानों के नाम ग़ायब होने की शिकायतें भी सामने आईं। समिति का ध्यान इस बात की तरफ़ भी दिलाया गया कि मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया

जाता है जबकि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की बहुलता वाले क्षेत्रों को आरक्षित नहीं किया जाता। अतः भावना यह है कि मुसलमानों को सुनियोजित ढंग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। समिति ने आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के आंकडों का जायज़ा लिया तो इस शिकायत को सही पाया।

साक्षरता दर के सिलसिले में समिति ने पाया कि मुसलमानों की साक्षरता का अनुपात राष्ट्रीय साक्षरता अनुपात से बहुत कम है। मुसलमानों की साक्षरता दर और औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर में अन्तर शहरी क्षेत्रों तथा महिलाओं के बीच ज़्यादा है। 6 से 14 साल तक मुस्लिम बच्चों की 25 प्रतिशत संख्या ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, या अगर दाख़िल भी हुए तो ड्रॉप आउट कर गए। आज़ादी के बाद शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के मामले में मुसलमानों तथा अन्य वर्गों के बीच समानता स्थापित नहीं हुई। समिति ने पाया कि 1970 से मुसलमानों तथा अन्य वर्गों के बीच शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की असमानता बढ़ती चली गयी है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में 25 स्नातक छात्रों/छात्राओं में से एक तथा 50 स्नाकोत्तर में से एक मुसलमान है। स्नातक मुस्लिम युवाओं में बे रोज़गारी की दर अन्य तमाम वर्गों की अपेक्षा सब से अधिक है। स्कूल जाने वाले बच्चों में से मदरसों के छात्रों का अनुपात केवल 3 से 4 प्रतिशत है। उर्दू टीचिंग की सुविधा पूरी तरह नदारद है। प्राथमिक स्तर पर उर्दू मीडियम स्कूलों की कमी की वजह से उर्दू मीडियम में दाख़िला लेने वालों की संख्या भी कम है।

समिति ने पाया कि मुस्लिम माता-पिता अपने बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा दिलाने या सरकारी स्कूलों में भेजने से संकोच नहीं करते लेकिन सरकारी स्कूलों तक मुसलमानों की पहुंच सीमित है। बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के स्कूल निकटतम परिक्षेत्र में नहीं हैं। महिला छात्रावासों तथा महिला टीचर्स क न होना भी बाधा का कारण है। विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा जातियों में शिक्षा के पैटर्न में जो अन्तर है उससे अनुमान मिलता है कि अनुसूचित जाति एंव जनजाति के कल्याण के लिए शैक्षिक विकास के जो उपाय सरकारी अथवा निजी क्षेत्र से किए गए हैं उनका लाभ भी इन वर्गों को निश्चित रूप से मिला है। इससे सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के संवैधानिक प्रावधान का महत्तव प्रदर्शित होता है। अतः स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान के साथ उच्च शिक्षा की सुविधा के अवसर मुसलमानों के लिए अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त मुसलमानों के कुछ वर्गों में उनके व्यवसायिक ढांचे का ध्यान रखते हुए, एसे लोगों के

लिए जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है, क्षमता को बढ़ाने वाले उपाय भी विशेष रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

बीड़ी मज़दूरों, दर्ज़ी तथा मिकैनिक वर्गों का सामाजिक सुरक्षा एंव संरक्षण की आवश्यकता है। व्यवसायिक तथा प्रशासनिक कैडर में मुसलमानों की भागीदारी कम है। किसी लिखित समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा के बिना नौकरी के लिए मुस्लिम कामगार सबसे ज़्यादा सरलता से उपलब्ध हैं। मुस्लिम नौकर अन्य धार्मिक व सामाजिक वर्गों की अपेक्षा कमतर उजरत पर काम करते हैं। चूंकि मुसलमानों की एक बडी संख्या अपने निजी रोज़गारों पर आश्रित है इस लिए क़र्ज़ की उपलब्धता तथा क्षमताओं के विकास के उपायों की भी एसे वर्गों के लिए आवश्यकता है।

बैंक क़र्जों का हाल यह है कि मुसलमानों को मिलने वाले क़र्ज़े अन्य अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले क़र्जों के समान नहीं हैं बल्क केवल उनका दो तिहाई हैं। कभी कभी तो यह केवल उनके आधे ही हैं। अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के बीच बैंक सेवाओं तथा क़र्ज़ वितरण की सुविधा बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के प्रयासों का विशेष लाभ मुसलमानों के बजाए अन्य अल्पसंख्यकों को हुआ।

मुसलमान बैंकों से विचलित नहीं है तथा विशेष प्रयासों से इसमे और भी बहतरी लाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में अनुचित योजनाबन्दी की वजह से नाकामी होती है। कुछ बैंको ने मुसलमानों की बहुलता वाले क्षेत्रों को “Negative Geographical Zones” के रूप में चिंहित कर रखा है। अतः मुसलमानों को प्रत्यक्ष रूप से क़र्ज़ उपलब्ध कराने, क़र्ज़ स्कीमों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा सूचना संवर्धन की व्यवस्था में पार्दर्शिता लाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिएं।

छोटे गांवों में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात तथा वहां शैक्षिक एंव आवासीय इन्फ़्रास्टक्चर की उपलब्धता में स्पष्ट रूप से एक उलटा सम्बंध है। अर्थात जहां मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात जितना अधिक है, वहां उन सुविधाओं की उतनी ही कमी है। हद यह है कि मुस्लिम आबादी वाले गांवों को मुख्य सडक से जोडने के लिए पक्के रास्ते भी नहीं हैं और न वहां बस स्टॉप हैं। राज्यों में मुस्लिम आबादियों के बीच ढांचागत सुविधाओं के अभाव का अर्थ यह है कि मुस्लिम समुदाय का बडा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों

में पक्के मकान रखने वाले मुसलमानों का अनुपात पूरी आबादी के अनुपात से बहुत कम है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की अपेक्षा कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों के अन्दर अच्छी सडकें हैं और ड्रेन निकासी व जल सप्लाई की बहतर सुविधा है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम घरानों का बडा हिस्सा 500 रू. मासिक से कम व्यय की परिसीमा में है।

आई.ए.एस में मुसलमानों की भागीदारी केवल 3 प्रतिशत, आई.एफ़.एस. में केवल 1.8 प्रतिशत तथा आई.पी.एस. में केवल 4 प्रतिशत है। समस्त विभागों में मुसलमानों के रोज़गार का हिस्सा हर स्तर पर कम है। रेलवे में केवल 4.5 प्रतिशत कर्मचारी ही मुसलमान है और उनमें भी 98.7 प्रतिशत लोग निम्न स्तर की सेवाओं पर नियुक्त हैं। विश्वविद्यालयों तथा बैंकों में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व बहुत कम है। किसी भी राज्य के सरकारी विभागों में मुसलमानों का अनुपात उस राज्य में उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से नहीं है। पुलिस में मुसलमानों की भागीदारी केवल 6 प्रतिशत, स्वास्थ सेवाओं में 4.4 प्रतिशत और ट्रांस्पोर्ट में 6.5 प्रतिशत ही है। उन विभागों में जिनका प्रायः जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है तथा संवेदनशील सेवाएं वहां से प्रतिपादित की जाती है, उनमें मुसलमानों के समुचित प्रतिनिधत्व को सुनिश्चत करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। योजना बद्ध तथा निश्चत कार्यक्रम इस दिशा में अपेक्षित हैं। आई.सी.डी.एस कार्यक्रमों में मुसलमानों का प्रतिनिध्तव अधिकतर राज्यों में बहुत कम है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फ़ाउण्डेशन की कारकर्दगी को बहतर बनाने के लिए उसका फ़ण्ड एक हज़ार करोङ रु. तक बढ़ाने की ज़रूरत है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 2002 से 2004 तक 106 करोङ रु. आवंटित किए गए, लेकिन इस बारे में जन सूचनाएं समुचित रूप से संचारित नहीं की गयीं। चुनी जाने वाली संस्थाओं में यदि मुसलमानों का हिस्सा कम है तो उन्हें निर्णय निर्धारण के मामलों मे नामांकन द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए।

1950 का अध्यादेश संविधान की धारा 14, 15, 16 तथा 25 के विपरीत है, जिनके अनुसार तमाम नागरिकों को समान अवसर, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, तथा धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर भेद-भाव से सुरक्षित रहने की गारण्टी मिलती है। मुस्लिम पिछडा वर्ग, हिन्दू पिछडा वर्ग की अपेक्षा अधिकांशता वंचित हैं। काम में भागीदारी के अनुपात का मानक "Wok Participation Rate" हिन्दू पिछडे वर्गों (67प्रतिशत) तथा मुस्लिम पिछडे वर्गों के बीच अन्तर को स्पष्ट करता है। 100 कर्मचारियों में 11 हिन्दू और केवल 3 सामान्य वर्ग के मुसलमान व एक मुस्लिम ओ.बी.सी. है। मुसलमानों की मासिक प्रति व्यक्ति आय का औसत राष्ट्रीय स्तर

पर मासिक प्रति व्यक्ति आय के औसत से बहुत कम है। पिछड़े वर्गों के लिए सुनिश्चत लाभ मुस्लिम पिछड़े वर्गों तक अभी नहीं पहुंचे है। सामान्य मुसलमानों की सामूहिक स्थिति हिन्दू पिछड़े वर्गों से भी बदतर है, जो कि आरक्षण का फ़ायदा पहले से ही उठा रहे हैं।

पूरे देश में वक़्फ़ की पांच लाख रजिस्टर्ड सम्पत्तियां हैं जो छः लाख एकड़ पर फैली हुई हैं और पुराने बहिखातों के अनुसार उनका मूल्य 6 हज़ार करोड़ रुपय है। तब से अब तक मूल्यों में वृद्धि दर को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो पूरे देश में वक़्फ़ सम्पत्तियों का मौजूदा मूल्य कम से कम 12 हज़ार करोड़ रुपय होना चाहिए। लेकिन इन सब से होने वाली कुल वार्षिक आए केवल 163 करोड़ रुपय है, अर्थात कुल पूंजि का केवल 2.7 प्रतिशत। इन सम्पत्तियों की मौजूदा मूल्य के हिसाब से यह अनुपात और भी कम हो जाता है। वक़्फ़ बोर्डों की व्यवस्था और प्रशासन असंतोषजनक है तथा इसका कारण राज्य वक़्फ़ बोर्डों एंव सेन्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के पास पर्याप्त अधिकार न होना है। सरकारी विभागों द्वारा वक़्फ़ सम्पत्तियों पर क़बज़ा एक सामान्य बात है। राज्य सरकारों तथा उनकी एजेण्सियों के रवैये की वजह से वक़्फ़ के महान उद्देश्यों को बड़े पैमाने पर नुक़सान पहुंचता है। अतः नए सिरे से संस्थागत सुधार आवश्यक हो गया है। वक्फ़ सम्पत्तियों की एक बड़ी संख्या का अधिकरण भी कर लिया गया है लेकिन उसका मुआवज़ा नहीं दिया गया है। वक्फ़ की इन पांच लाख सम्पत्तियों के प्रबंधन को बहतर बनाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्तर पर वक्फ़ मामलों को अधिकाधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य वक़्फ़ बोर्डों के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चुनाव उस राज्य के सम्मानित लोगों में से किया जाना चाहिए। वक़्फ़ प्रबंधन प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अधिकारियों का एक विशेष कैडर गठित करना चाहिए, जो इस्लामी शिक्षाओं तथा निर्देशों से अवगत हो एंव वक़्फ़ प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण उसे प्राप्त हो। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वक़्फ़ डेवलप्मेण्ट कार्पोरेशन गठित किए जाएं। जो वक़्फ़ सम्पत्तियां रजिस्टर्ड सोसायटियों, ट्रस्टों तथा संस्थाओं के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य जन सेवाओं के लिए उपयोग में हों उनकी लीज़ की अवधि 30 साल तक बढ़ाई जाए। वक़्फ़ सम्पत्तियों को हर राज्य में रेण्ट कन्ट्रोल एक्ट से अलग रखा जाए। वक़्फ़ ट्रिबुनल में पूर्णकालिक प्रेज़ाइडिंग ऑफ़ीसर नियुक्त किया जाए जो केवल वक्फ़ मामलों को देखने के लिए ही हों। वक़्फ़ सम्पत्तियों पर से क़ब्ज़े हटाने के लिए पब्लिक प्रीमाइज़ इविक्शन एक्ट (सार्वजनिक भवनों को ख़ाली कराने का क़ानून) लागू किया जाए।

मुस्लिम समुदाय विकास के तमाम पहलुओं में व्यवहारिक रूप से नुक़सान तथा वंचिता से दो चार है। समानता एंव भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एसी व्यवस्था हो कि विविधता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके तथा भेद-भाव एंव कटुता की भावनाओं को समाप्त किया जा सके। समिति ने एक एसा डाटा बैंक स्थापित करने की भी सिफ़ारिश की जहां समस्त सामाजिक व धार्मिक वर्गों से सम्बंधित जानकारियां उपलब्ध हों। इसी के साथ एक स्वाधिकार प्राप्त समीक्षा एंव निगरानी प्राधिकरण गठित किया जाए जो सरकार के समस्त कार्यक्रमों से तमाम वर्गों को प्राप्त होने वाले लाभ की समीक्षा एंव अवलोकन का काम करे। इसके अतिरिक्त वंचित वर्गों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समान अवसर आयोग गठित किया जाए। सरकार में भागीदारी का स्तर बढ़ाने के लिए नामांकन का एक सावधानीपूर्ण तरीक़ा अपनाया जाए। समिति ने आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से सम्बंधित अनियमितताओं को दूर करने के लिए भी सिफ़ारिश की।

विविधता पर आधारित इन्सेन्टिव स्कीम (“Incentives based on Diversity Index”) शूरू करने की सिफ़ारिश भी समिति ने की ताकि सभी क्षेत्रों में समानुपातिक विविधता को सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को जांचने की प्रक्रिया शूरू करने तथा उसे संस्थागत बनाने की आवश्यकता भी उजागर की गयी और कहा गया कि यूजीसी को एसी व्यवस्था अपनानी चाहिए कि स्कूलों तथा कालेजों को दी जाने वाली सहायता को छात्रों की विविधता के साथ जोडा जा सके। अर्थात जिन स्कूलों तथा कालेजों में सभी समुदायों के छात्रों को समानुपातिक संख्या में प्रवेश दिया जाए उन्हें सरकारी सहायता भी उसी अनुपात में दी जाए। सभी समुदायों के अति पिछडे वर्गों के बच्चों के दाख़िले को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालों तथा कालेजों में वैकल्पिक प्रवेश व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। टीचर ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाए तथा उनके प्रशिक्षण में सामाजिक बहुलतावाद एंव विविधता के महत्तव को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। मुसलमानों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों की भावनाओं तथा आवश्यकताओं के प्रति अध्यापकों/अध्यापिकाओं को संवेदनशील तथा जागरूक बनाने आवश्यकता है। अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के लिए सस्ते छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकताओं में लिया जाए। राज्यों को उर्दू मीडिय स्कूल स्थापित करने चाहिएं तथा मदरसों को माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से जोडा जाए ताकि मदरसे की प्राथमिक शिक्षा के बाद मुख्य धारा के स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को प्रेश मिल सके।

समिति ने इस बात की भी सिफ़ारिश की कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में मुसलमानों की पहुंच की सम्भावनाओं को विक्सित किया जाए। वास्तव में एसे नीतिगत उपायों की आवश्यकता है जिन से कारोबारी तथा व्यवसायिक बैंकों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इण्टरवीव पैनल तथा बोर्डों में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। शिक्षा तथा क्षमताओं के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कमज़ोर एंव वंचित लोगों को अवसरों का लाभ उठाने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाए। जहां मुसलमानों की उचित आबादी है वहां रोज़गार के साधन बढ़ाने के लिए वित्तीय एंव अन्य सहायता दी जाए।